न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/12/2018

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री किशोर चंद मीना, 9/743	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0
लोधि कालोनी, नई दिल्ली–110003	जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 12–02–2018

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 01.12.2017 के संबंध में आवेदन में वर्णित पत्र क्रमांक–12–5/61/राज0 54670–76 दिनांक 27.01.2005 की प्रति चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाऐं दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉंछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.02.18 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक **270** दिनांक **12-02-2018** के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक **01-12-2017** के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 70 दिनांकः 08.01.18 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना भिजवाई जा चुकी है तथा प्रकरण में संबंधित शाखा द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर (पत्रांकः 5911 दिनांकः 16.01.18 से प्राप्त) पत्रांकः राजस्व/2018/255 दिनांकः 20.01.18 के माध्यम से रिपोर्ट लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराई गई। उक्त प्राप्त रिपोर्ट लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर द्वारा पत्रांकः **157** दिनांक **23-01-2018** के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

12/02/18

(राजन विशाल)
जिला कलेक्टर,अलवर